न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2022/148
मुकदमा नम्बर 39/2022 दावा दर्ज दिनांक–28.03.2022

अशोक कुमार पुत्र शीशराम जाति जाट निवासी ग्राम राणासर,तहसील नवलगढ, जिला झुझुनूं
–वादी

बनाम

1. सन्त कुमार पुत्र शीशराम
2. सुमित्रा देवी पत्नी शीशराम जाति जाट निवासीगण ग्राम राणासर तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–प्रतिवादी

दावा – घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

वकील वादी : – श्री सुरेश कुमार सीगड
प्रतिवादी सं. 1 व 2:– एक पक्षीय
प्रतिवादी सं. 3 :– पैरो. राज.

:: निर्णय :: निर्णय दिनांक 03.10.2025

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम राणासर भूमि खसरा नं. 168 रकबा 1.00 है0 के वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 व 2 खातेदार काश्तकार है, इस आशय की घोषणा की जावे तथा खसरा नं. 475 रकबा 1.53 है0, खसरा नं. 476 रकबा 1.73 है0, खसरा नं. 477 रकबा 8.18 है0 कुल रकबा 11.44 है0 ग्राम राणासर के 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार वादी वादी एंव प्रतिवादी नं. 1 व 2 है, इसी प्रकार से रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण कि जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे अतः इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी सं. 3 की और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर एतराज व्यक्त नही किया गया। शहादत वादी में अशोक कुमार उपस्थित हो मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

बहस पेश होने पर बगोर सुनी गई। वकील वादी ने राजस्व रिकार्ड का हवाला देते हुये तथा पटवारी हल्का कि रिपोर्ट, पंचायत की रिपोर्ट तथा साक्ष्य में वादी के शपथ पत्र के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

:: आदेश ::

वादी अपने पिता जो 31 –32 वर्षो से लापता है तथा उक्त विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत मृत मानते हुये उनके वारिसानों वादी एंव प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहा है। इसके सम्बन्ध में वादी ने अपने वाद में अंकित तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है, राजस्व रिकार्ड की नकले पेश की है,पटवारी हल्का की रिपोर्ट की प्रति दिनांक 18.06.2019 पेश की है,ग्राम पंचायत राणासर के सरपंच के प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

वाद वादी में यह स्पष्ट रूप से साबित है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता/पति करीब 31–32 वर्षो से लापता है, परन्तु जब तक किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा सिविल मृत घोषित नही कर दिया जाता, तब तक उसके हक अधिकारों के तहत उसकी सम्पत्ति का नामान्तकरण उसके उत्तराधिकारियों अथवा उसके वारिसानों के नही किया जा सकता है। कानून मे इसके लिये पृथक से व्यवस्था की गई है। वादी पक्ष अपनी साक्ष्यों के द्वारा वाद साबित करने मे असमर्थ रहे है।

लिहाजा वाद वादी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीसीएमएस नं. 2022/148
मुकदमा नम्बर 39/2022 दावा दर्ज दिनांक–28.03.2022

(अशोक कुमार बनाम सन्त कुमार वगै0)
दावा – घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती
(डिक्री)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वादी अपने पिता जो 31 –32 वर्षो से लापता है तथा उक्त विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत मृत मानते हुये उनके वारिसानों वादी एंव प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहा है। इसके सम्बन्ध में वादी ने अपने वाद में अंकित तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है, राजस्व रिकार्ड की नकले पेश की है,पटवारी हल्का की रिपोर्ट की प्रति दिनांक 18.06.2019 पेश की है,ग्राम पंचायत राणासर के सरपंच के प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

वाद वादी में यह स्पष्ट रूप से साबित है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता/पति करीब 31–32 वर्षो से लापता है, परन्तु जब तक किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा सिविल मृत घोषित नही कर दिया जाता, तब तक उसके हक अधिकारों के तहत उसकी सम्पत्ति का नामान्तकरण उसके उत्तराधिकारियों अथवा उसके वारिसानों के नही किया जा सकता है। कानून मे इसके लिये पृथक से व्यवस्था की गई है। वादी पक्ष अपनी साक्ष्यों के द्वारा वाद साबित करने मे असमर्थ रहे है।

लिहाजा वाद वादी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

जन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–..... .....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 13 माह 10 सन 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00